







# अमेरिका के साथ विपक्षीय साझेदारी

जिस तरह से चीन का विस्तारवाद नीतियां रही हैं, उससे कई पड़ोसी देशों के साथ टकराव की स्थिति बनी है. भारत में भी चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए जनता में एक आम सहमति बनी है. आम जनता चाहती है कि चीन के खिलाफ भारत स्वयं को मजबूत करे. राजनीतिक विरोधी पर्टियां खासकर राष्ट्रीय दल भी इस बात को मानते हैं कि चीन के खिलाफ भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए. सभी चाहते हैं कि भारतीय सेना चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दे. भारत ने पहले अमेरिका के साथ कुछ समझौते किये थे. उसमें बेका समझौता (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट) एक अहम कदम है. क्षेत्रीय हालातों के मद्देनजर ऐसे समझौते की बहुत जरूरत थी. यह बहुत ही उचित समय पर हुआ है, क्योंकि चीन जिस आक्रामकता से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, उसके जवाब में यह आवश्यक हो गया था. इससे भारत को अपनी तैयारी बेहतर करने में मदद मिलेगी.

दूसरा, अब चीन को समझ में आ जायगा कि विस्तारवाद का नातव से वह कामयाब नहीं हो सकता। पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान नेपाल को वे हमारे खिलाफ भड़क रहे हैं. पाकिस्तान में तो हमारी जमीन पर वे अवैध तरीके से दाखिल हो गये. चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कार्डिर और कई बाध वैगैंग बनाना शुरू कर दिया था. वैधानिक तौर पर वह हमारी जमीन है. इसके अलावा श्रीलंका, अफानानिस्तान ईरान, म्यांमार समेत कई हमारे पड़ोसी देशों में चीन बढ़त बनाने में लगा हुआ है. उन्होंने भूटान के धमकाने की कोशिश की. ढोकलाम में जमीन हड्डपने की कोशिश की, ते भारत ने सख्त विरोध दर्ज कराया करीब 70-75 दिनों तक गतिरोध बना रहा. वहीं, नेपाल जैसे देश चीनी पाले में चले गये.

हालांकि, नेपाल के रुख में परिवर्तन आया है. उन्हें अब पता चल गया है कि चीन उनका सगा नहीं है. बेका समझौता भारत के साथ-साथ एशिया के अन्य देशों के लिए भी जरूरी है भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी सभी के हित में है. क्लाउड के अंतर्गत



दराना न रात जा रहा. वे सबसे अहम हैं कि अगर उन बाकई में भारत के हितों का बढ़ाना चाहता है, तो उसे पड़ासी देशों के साथ थोड़ा सा बरतने की जरूरत है। इरान म्यांमार में उनके अपने प्रतिबंध

जारी रिका आगे हमरे लियत और लगे उपलोग होता है जारी यहा धुसता चला जाता है, हमने इरास्टर और अफानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी बनायी थी, लेकिन, वह अपनी ढांचागत सुविधाओं जैसे रेत आदि का विस्तार नहीं कर सकते चाबहार बंदगाह पर तो उन्होंने हाँ

त्पाना के लिए सूखानपन गहरा है। हमने तेल, गैस की आपूर्ति बंद कर दी, तो ईरान अब वहाँ हमें हटाकर चीन को बुलाना चाहता है। चीन ईरान में 400 बिलियन डॉलर की निवेश की घोषणा की है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है।

नहीं है, बल्कि अच्युत दराजा का चीन हमारे खिलाफ खड़ा कर लगा हुआ है। अमेरिका हमारे दोस्ती कर रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों में वह हमारी ही नियमों को कमज़ोर कर रहा है। भारत अमेरिका समझौते पर अपार्टमेंट और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय मकसद ही केवल दुश्मनी बढ़ावा देना और आतंकवाद को फैलाना। उसने तो यह भी कह दिया है कि अमेरिका उसे खराब हथियार देना चाहता है, चीन अब अच्छे हथियार देना चाहता है। भारत को भी कुछ दिनों में समझौते का आजायेगा। पाकिस्तान नेताओं ने कहा कि अमेरिका उसके बुद्धु बनाता रहा। हालांकि, पाकिस्तान का अपना एजेंडा है। एशिया के देशों- ताइवान, जापान, दक्षिण चीन सागर में चीन के पार कई देशों ने विरोध जताया है। हांगकांग और ताइवान के मसले दबाव बनाने की कोशिश करता है। अगर भारत अमेरिका के आगे बढ़ता है, तो इन देशों के

मनावत बढ़ागा। हम उनके साथ अपने रिस्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी। चीन हिंद महासागर में अपने अड्डे बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूति के अलावा वह बांगलादेश, म्यांमार, मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस तथा कई अप्रौढ़ी के देशों में तेजी से बढ़ रहा है। हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए जरूरी है कि अमेरिका और जापान जैसे देश भारत के साथ आगे आयें, ताकि भारत अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। हिंद महासागर में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन, भारत की निवेश और प्रौद्योगिकी क्षमता बहुत सीमित हैं। इसका पफ्यदा चीन उठा लेता है। लेकिन, आगे अमेरिका और जापान भारत के साथ मिलकर चलें, तो हमारे पास क्षमता है कि हम यहां नेतृत्व कर सकें। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सपर्ट, आइटी के लोग तकनीकी सहयोग और सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। अन्य देश भी जब भारत के साथ आयेंगे, तो चीन को आसानी से रोका जा सकेगा। बेका समझौता लागू होने के बाद इस्तेवत काफ़ि मजबूत होगा, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी जटिल है। भारत में मंजूरी की प्रक्रिया आसान है, लेकिन अमेरिका में सीनेट से मंजूर कराना होता है। वहां कॉग्रेस में जाने के बाद हो सकता है कि कुछ शर्तें लगा दी जायें। अब यह निर्भर करता है कि उसे मंजूरी किस तरह से मिलती है। अभी वहां चुनाव हो रहे हैं।

भारत को संभलकर चलना है कि समझौता तो हो गया है, लेकिन अमेरिका उसे लागू किस तरह से करता है। वह भारत के हित में होगा या विरोध में, यह देखनेवाली बात होगी। क्योंकि, कई बार बाइडेन और कमला हैरिस सीए और धारा-370 आदि के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि इसे लेकर भी मतभेद उभये। चुनाव के बाद देखना होगा कि आगे की राह क्या होती है। अगर अमेरिका भारत के साथ द्विक्षीय साझेदारी को मजबूत करेगा, तो एशिया में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकेगा और अन्य देशों के साथ ताल-मेल बेहतर हो सकेगा।

लिंगपादपंगप  
रोशनी राहत भी देती  
थी, डराती भी थी

करता हूँ कि कितना जज्ब किया था। जब पूरे छह से ज्यादा वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब कोई नया घाव न लगा हो। एक भरा नहीं कि दूसरा, पहले से भी गहरा। उसे भी संभाला नहीं कि तीसरा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपके हाथ में खंजर है तो कहाँ दिल भी तो होगा? उसने कुछ नहीं कहा? सुनता हूँ, खंजर वाले हाथ दिल की नहीं सुनते। इतने बौने होते हैं कि उनकी पहुंच दिल तक होती ही नहीं है। दिल भी कमबख्त सबका धड़कता कहाँ है? पांच अगस्त के बाद नींद कहाँ खो गयी। रात के अंधेरे में कहाँ-कहाँ नहीं भटकता रहा, उन सब निषिद्ध स्थानों तक गया जहाँ संस्कारी लोग नहीं जाते। रात-रात भर, जागे-अधजागे कितना गलीज रौदा, उनमें उतरा, पार करने की कोशिश की। कितने लोगों से मिला- अनायास, निष्प्रयोजन। कितने सवाल थे जो बहस में बदलते रहे और मैं प्रिय-प्रिय लौटा रहा। जानता था कि इनसे जवाब मिलेगा नहीं लेकिन जाता रहा बार-बार। हिंदुत्व की कोई ऐसी परिभाषा तो बने जिस पर मैं और वे दोनों टिक सके? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सिवा गालियों और आरोपों के। वे सब आजादी के पहले के ही थे। कहाँ कोई नयी सोच नहीं। सप्तमों में भी इतनी जड़ता? तभी कोविड ने दबोच लिया। अब नींद पर हमला और गहरा हो गया, वह कहाँ गुप में समा गयी। मैं रात-रात भर जागने और अंधेरे में धूमने लगा। अपने उस सफर में पहाड़ों पर भी गया, तलहटियों में भी उतरा। जीवन के साथक तो वहीं मिलते हैं न। लेकिन गांजा, भांग, चरस आदि से आगे की कोई साधना वहाँ मिली नहीं। लेकिन रोज रात यह सफर चलता रहा। नींद में नहीं, जाग्रत अवस्था में। रात भर घर में धूमता रहता था। हर कोने से एक नयी कहानी बनती थी जो खिंचती हई कहाँ से कहाँ चली जाती थी। कितनी बार वहाँ भी गया, जहाँ सुनता है, हालांकि जानकार का तरीखेती की जमीन अब भी कश्मीरियों के लिए रहेगी। 27 अक्टूबर मंगलवार देश ले लिए मंगलकारी रुपया कहें किसी नायब तोहफे से वे बनहीं रहा। इस नए नोटिफिकेशन बाद होके हिंदुस्तानी को कश्मीर बसने और भू खरीददारी का हमिल गया है। कश्मीर से आर्टिक्स 370 की विदाई के बाद केंद्र सरकार का यह बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। जमीन पर दीगर स्टेट्स मालिकाना हक ले लिए केंद्र ने 20 कानूनों को नियस्त कर दिया बदल दिया है। यूनियन गवर्नर्मेंट जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने लिए राज्य का स्थाई नियासी होने वाला शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय की यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है, लेकिन इ

ना भारतीय पहा चम्प्र, पर या दुकान के लिए जमीन खरीद या बेच सकता है। मंत्रालय ने यह साफकिया है, इसके लिए किसी तरह के स्थाई निवासी होने का सुबूत देने की जरुरत नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की बदिशों से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के करीब-करीब एक साल पूरा होने पर जमीन की खरीद फोखत कानून में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में भूमि से सम्बंधित जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से राज्य के स्थाई निवासी वाक्यांश को हटा दिए गया है। इससे पूर्व सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग ही जमीन को खरीद या बेच

# क्रत नसीब हो

किए और सुलझाए जाते थे। जमू-कश्मीर में भारत के बाहरी पकड़े के लोगों को जमीन लेने या विरोधी पाने का अधिकार नहीं था। देश में चुनाव हर पांच साल बाद हैं तो जमू-कश्मीर में यह बी अवधि छह बरस थी। दो शासित प्रदेशों के बाटने ने 14 ने बाद अब केंद्र सरकार ने प्रदेश भूमि सम्बंधित कानूनों में बहुत-चूल परिवर्तन किया है। अब कश्मीर में नए सवेरे के आगाज है। कृषि भूमि पर कॉन्ट्रैक्ट खेती भी हो पाएगी। औद्योगिक विकास की स्थापना का मार्ग भी स्त हो गया है। औद्योगिक और अग्रियक उद्देश्य के लिए खरीदी जमीन भी सरकार अब किसी भी दे सकेगी। पहले इस तरह



# ਹਿੰਦੁਕਸ਼ਾ ਨਾਂ ਏਖੁਰਾਬ੍ਰਾ ਦੇ ਲਾਗਈ ਫਾਰਮਾਈ


करने का काइ दूरकर नहीं है। बल्कि आप मालिकाना हक से अपने सपनों का घर बना सकेंगे और व्यवसाय भी कर सकेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अब केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में बेरोकटोक जर्मान खरीद सकता है। वहां बस सकता है, हालाँकि अधिकार के तौर पर खेती की जमीन अब भी कश्मीरी के लिए रहेगी। 27 अक्टूबर मंगलवार देश ले लिए मंगलकारी रूप से या कहें किसी नायाब तोहफे से बन नहीं रहा। इस नए नोटिफिकेशन बाद हरेक हिंदुस्तानी को कश्मीर बसने और भू खरीददारी का हमिल गया है। कश्मीर से आर्टिक 370 की विदाई के बाद केंद्र सरकार का यह बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। जमीन पर दीगर स्टेट्स मालिकाना हक ले लिए केंद्र ने 2 कानूनों को निरस्त कर दिया बदल दिया है। यूनियन गवर्नमेंट जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने लिए राज्य का स्थाई निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय की यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है, लेकिन इसको जमीन पर नेताओं को अब कश्मीरी

राज्यपाल नामांज सिनहा के मुताबिक, हम चाहते हैं-बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसीलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के तहत लिए हैं। अब कोई भी भारतीय वहां फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद या बेच सकता है। मंत्रालय ने यह साफकिया है, इसके लिए किसी तरह के स्थाई निवासी होने का सुवृत्त देने की जरूरत नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की बदिशों से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के करीब-करीब एक साल पूरा होने पर जमीन की खरीद फोरेक्ट कानून में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में भूमि से सम्बंधित जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से राज्य के स्थाई निवासी वाक्यांश को हटा दिए गया है। इससे पूर्व सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग ही जमीन को खरीद या बेच

# क्रत नसीब हो

2019 से पहले उनको हासिल थे।

या जम्मू-कश्मीर का अनाधिन था। जम्मू-कश्मीर का ना झंडा था। केंद्र से पारित कोई कानून जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में मंजूरी के बाद ही राज्य में पूछा किया जाता था। जम्मू-कश्मीर इंडियन पैनल कर्ट नहीं बल्कि शासी पैनल कर्ट के तहत मामले किए और सुलझाए जाते थे। जम्मू-कश्मीर में भारत के बाहरी देश के लोगों को जमीन लेने या भारी पाने का अधिकार नहीं था। देश में चुनाव हर पांच साल बाद हैं तो जम्मू-कश्मीर में यह बी अवधि छह बरस थी। दो शासित प्रदेशों के बाटने ने 14 ने बाद अब केंद्र सरकार ने प्रदेश भूमि सम्बंधित कानूनों में बूल-चूल परिवर्तन किया है। अब शासी में नए स्वरों के आगाज हैं। कृषि भूमि पर कॉन्ट्रैक्ट खेती भी हो पाएगी। औद्योगिक विकास की स्थापना का मार्ग भी स्त हो गया है। औद्योगिक और अंजिक उद्देश्य के लिए खरीदी जमीन भी सरकार अब किसी भी दे सकेगी। पहले इस तरह से पर कश्मीर



अब कश्मीर नतांगा का जमाना हकीकत समझने और वर्तमान दौर के साथ व्यवहारिक होने की जरूरत है। उन्हें अब सच और जपीनी 2019 से पहले उनका हासिल था कश्मीर का जमान बिक्री के लिए खड़ा दी। निरस्त किए जाने वाले अन्य कानूनों में कृषि होलिंग्स अधिनियम, 1960 के विखंडन की बदला गया। 1978 के 44 व अंत ग्रामीण लगान का आधिकार देता है। भारतीय सर्विधान के अनुच्छेद 19 के खंड (5) के गैर-कृषकों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ शर्तें हैं जहां संशोधन का अनुच्छेद 19 के दोष में लाया गया है, जिसमें कृषि भूमि जैसे संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। एक नया प्रवधान, अनुच्छेद

हकीकत समझ लेनी चाहिए। अभारत में उनकी बकवास को कुसुनने वाला नहीं है। वे चाहें तो वे भी कर के देख लें, उनकी अब ठिकाने लग जाएंगी। उन्हें समझ जाना चाहिए कि वे राज्य की जनका विश्वास पूरी तरह खो चुके और यहाँ की जनता अब उन बहकावे में रहने वाली नहीं है। हिन्दुस्तानी को अब ये पता चुका है कि जम्मू और कश्मीर खुरापती नेता अपने फरदे के लिए चीन और पाकिस्तान की भाषा बाल रहे हैं। हाल ही में केंद्र भारतीय नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 और 351 निरस्त होने के एक साल बाद वकानूनों में संस्थाधन करके जम्मू कश्मीर में सभी भारतीयों के जर्मन खरीदने का तोहफ़ दिया है। पिछला साल आगरा में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने पहले, जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकथे। ताजा बदलावों ने गैर-निवासियों के लिए जम्मू और कश्मीर के वेश्या शासित प्रदेश में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त किया है। दूसरी तरफ़ जम्मू-कश्मीर के नजरबंद नेताओं ने रिहा होते ही पिछ से अपनी पुरानी खुरापत चालू कर दी है। राज्य पूर्व मुख्यमंत्रियों फरूख अब्दुल्ला महबूबा मुस्ती, उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉम्प्रेंस माकपा तथा जम्मू-कश्मीर अब नेशनल कॉम्प्रेंस के नेताओं ने इसमांग कर दी कि भारत सरकार राज्य के लोगों को वो सांख्यिकारी

डिक्टेशन ने जम्मू और कश्मीर में सात मुख्यधारा की पार्टियों के एक सम्मलेन में भूमि कानूनों में बदलाव की निंदा की और सभी मोर्चों पर इनसे लड़ने की कसम खाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उह्ये संसाधन अस्वीकार्य हैं। जम्मू और कश्मीर के संस्थाधित कानून अधिसूचना ने राज्य के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 और भाग टप्प को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के साथ बदल दिया है। अधिसूचना द्वारा निरस्त किए गए अन्य प्रमुख कानूनों में जम्मू-कश्मीर बिंग लैंडेड इस्टेट्स (उन्मूलन) अधिनियम, शेख अब्दुल्ला द्वारा लाया गया एक ऐतिहासिक अधिनियम शामिल है, जिसने भूमिहीन टिलर को भूमि अधिकार दिया। जेके एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट, 1995, जेके कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 और जेके कंसॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, 1962 को भी निरस्त कर दिया गया। इस पर पौंडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों को कहीं का न छोड़ने के लिए उत्त्या गया कदम है। उन्होंने ट्रिवाट किया, श्यह जम्मू-कश्मीर के लोगों को कमजोर करने और उन्हें कहीं का न छोड़ने के भारत सरकार के नापाक मंसूबों से जुड़ा एक और कदम है। असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट

ू और कश्मीर रोकथामय भूमि रूपांतरण और बागें के अलगाव जेके निषेध अधिनियम, 1975य ५ राइट ऑफ प्रायर प्रोक्योरमेट, 1936 ए डीय टेनेसी की धारा (निष्कासन कार्यवाही का वाव) अधिनियम 1966य भूमि वनियम, 2010 का जेके गोगय जम्मू और कश्मीर भूमिगत गोगिताएँ (भूमि में उपयोगकर्ता के वकारों का अधिग्रहण) वनियम शामिल है। नयी यसूचना यह भी बताती है कि किं कमांडर के पद से नीचे के सेना अधिकारी के लिखित अनुरोध पर कार एक क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र रूप में घोषित नहीं कर सकती, ल सशस्त्र बलों के प्रत्यक्ष चालन और प्रशिक्षण वश्यकताओं के लिए इस वनियम के संचालन से और म और कानून और तरीके से ए गए हैं। देखे तो ये कदम धानिक वैधता और उचित बंध के साथ आया है। संविधान रूप से अनुच्छेद 19 और 31 वहत संपत्ति के अधिकार के लिए न किया गया। अनुच्छेद 19 सभी रिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, और निपटान के अधिकार की वी देता है। अनुच्छेद 31 में कहा है कि ष्कोई भी व्यक्ति कानून के वकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने उचित नहीं होगा। यह भी प्रदान कि मुआवजे का भुगतान उस को किया जाएगा, जिसकी संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए गई है। संपत्ति के अधिकार से

स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है- आम जनता के हित में एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, खड़क सिंह बनाम यूपी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार का अर्थ है नियंत्रण रेखा का अधिकार जो किसी को भी पसंद करने के अधिकार को दर्शाता है, और हालाँकि वह पसंद करता है। उत्तर प्रदेश बनाम राज्य कौशल्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वेश्याओं के आदोलन का अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। निवासी की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (ई) भारत के प्रत्येक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में से स्थानांतरित करने और उत्तर के किसी भी हिस्से में उत्तरने और बसने के की गारंटी देता है। यह सभी जनता के हित में या सूचित जनजाति के हितों लिए कानून द्वारा लगाए प्रतिबंधों के अधीन है। इसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का भारतीय सर्विधान का 9 (1) (डी) भारत के क्रमों को भारत के पूरे क्षेत्र के लिए स्थानांतरित करने के अधीन है। अनुच्छेद 19 का अधिकार अनुच्छेद 19 तहत उल्लिखित उचित अधीन है। अनुच्छेद 19 (5) राज्य को आम जनता या किसी अनुसूचित



